अति महत्वपूर्ण /शपथ /समयबद्ध

संख्या- 2298/नौ-1-13-68सा/07टीसी

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी,** **उत्तर प्रदेश।**
2. **समस्त नगर आयुक्त (सहारनपुर को छोड़कर)** **उत्तर प्रदेश।**

नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 22अप्रैल,2013

विषयः **शासन द्वारा निकायों में नामित सदस्यों को शपथ ग्रहण कराये जाने के संबध में।**

महोदय,

अवगत ही हैं कि **उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-9(1)(घ) में नगर पंचायत में सदस्य नामित किये जाने के संबध में निम्न व्यवस्था है:**

(घ) नाम-निर्दिष्ट सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे और जिनकी संख्या-
(एक) नगर पंचायत की दशा में, दो से कम और तीन से अधिक नहीं होगी;
(दो) नगरपालिका परिषद् की दशा में, तीन से कम और पांच से अधिक नहीं होगी;

उक्त धारा-9 नगरपालिका के गठन से संबधित है तथा धारा-43-(घ) में शपथ ग्रहण कराये जाने का प्राविधान है।

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 में "निगम का सदस्य" का तात्पर्य किसी (पार्षद), पदेन सदस्य, नाम-निर्दिष्ट सदस्य से भी है।

इसी प्रकार उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-6(1)(ख) में नगर निगमों में नाम निर्दिष्ट सदस्य नामित किये जाने के संबध में निम्न व्यवस्था है:

(ख) नाम निर्दिष्ट सदस्य जिन्हें राज्य सरकार द्वारा इसी प्रकार की विज्ञप्ति द्वारा उन व्यक्तियों में से, जिन्हें नगरपालिका प्रशासन का विशिष्ट ज्ञान या अनुभव हो, नाम निर्दिष्ट किया जायेगा और जिनकी संख्या पांच से अन्यून और दस से अनधिक होगी ;

उक्त धारा-6 निगम की संरचना से संबधित है।

इसके अलावा, उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की **धारा 23** में निम्नवत् प्राविधान हैं:

"23. पार्षदों पर प्रयोज्य कतिपय उपबन्ध नाम निर्दिष्ट सदस्य पर होंगे- धारा 24,25,26,28,29,30-क, 81,82,83,85(**शपथ से संबधित**),87,538,565,570 और 572 के उपबन्ध **जैसे पार्षदों पर लागू होते हैं वैसे नामनिर्दिष्ट सदस्यों पर, यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।"**

2. अवगत कराना है कि उक्त अधिनियमों में प्रदत्त प्राविधान्तर्गत शासन द्वारा परीक्षणोंपरांत नागर निकायों में नाम निर्दिष्ट सदस्यों को नामित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। **इस संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2013 में जिन जनपदों /निकायों में नाम निर्दिष्ट सदस्य नामित किये जा चुके हों उनके संबध में तत्काल उक्त प्राविधानों से अवगत होते हुए, नाम निर्दिष्ट सदस्यों को शपथ ग्रहण कराते हुए, इसकी सूचना शासन/निदेशक, स्थानीय निकाय उ0प्र0 एवं राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 को देने का कष्ट करें। साथ ही भविष्य में नामित किए जाने वाले सदस्यों एवं पार्षदों के संबध में भी इसका अनुपालन समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करते हुए, कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाये।**

5. उक्त आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय के विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल)संख्या (एस) 18362/2012 में जारी किये जाने वाले अंतिम आदेशों के अधीन होगा।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

संं0 2298(1)/9.1.2013-68सा/07टीसी, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 (पंचायत एवं स्थानीय निकाय) 32-स्टेशन रोड़, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. समस्त अधिशासी अधिकारी एवं अध्यक्ष, न0पा0प0/न0पं0 **द्वारा जिलाधिकारी।**
5. **वेब मास्टर** ,नगर विकास विभाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को विभागीय साइट पर अपलोड करने तथा समस्त संबधित को ई-मेल करने का कष्ट करें।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

14/2013

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।